रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-71 REGISTERED No. D. (D.N.)71

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 76] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 1986/माघ 24, 1907
No. 76] NEW DELHI, THURSDAY, FEB 13, 1986/MAGHA 24, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1986

अधिसूचना

सं. 141/86/सीमा-शुल्क

सा. का. नि. 198(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 79 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यात्री सामान नियम, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम यात्री सामान (दूसरा संशोधन) नियम, 1986 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. यात्री समान नियम, 1978 में, नियम 3 में,—

(1) खण्ड (कक) में,—

(क) उप-खण्ड (1) में, "तीन सौ पचास रुपए के मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "सात सौ पचास रुपए के मूल्य" शब्द रखे जाएंगे ,

(ख) उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा अर्थात् :—

"(2) बारह सौ पचास रुपए के मूल्य तक की वस्तुएं नि शुल्क आयात करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी यदि ऐसे ठहरने की अवधि तीन दिन से अधिक हो, और" ;

(ग) उपखण्ड (3) का लोप किया जायेगा ।

(2) खण्ड (कक) में, खण्ड (ख) के नीचे परन्तुक में,—

(क) उप-खण्ड (1) में, "सौ रुपए मूल्य" शब्दों के स्थान पर, "दो सौ रुपए मूल्य" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) तीन सौ रुपए के मूल्य तक की वस्तुएं निःशुल्क आयात करने की अनुज्ञा दी जा सकेगी, यदि ऐसे ठहरने की अवधि तीन दिन से अधिक हो, और" ;

(ग) उप-खण्ड (3) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 495/3/85-सीयूएस. 6]

आर. एस. सिद्धू, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 13th February, 1986

NOTIFICATION

NO. 141|86-CUSTOMS

G.S.R. 198(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 79 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Baggage Rules, 1978, namely :—

1. (1) These may be called the Baggage (Second Amendment) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Baggage Rules, 1978, in rule 3—

(1) in clause (aa),—

(a) in sub-clause (i), for the words, letters and figures "value of Rs. 350/-", the words, letters and figures "value of Rs. 750/-" shall be substituted ;

(b) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) upto a value of Rs. 1250/-, in case the period of such stay exceeds three days, and" ;

(c) sub-clause (iii) shall be omitted.

(2) in clause (aa) of the proviso below clause (b),—

(a) in sub-clause (i), for the words, letters and figures "value of Rs. 100/-", the words, letters and figures "value of Rs. 200/-" shall be substituted ;

(b) for sub-clause (ii), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) upto a value of Rs. 300/-, in case the period of such stay exceeds three days, and" ;

(c) sub-clause (iii) shall be omitted.

[F. No. 495/3/85-CUS. VI]

R. S. SIDHU, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986